राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	77/2021 कन्हैयालाल / देवनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/4/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष वादी रेस्पो. संख्या 1 द्वारा एक वाद बाबत विभाजन होन्डिंग व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्द प्रतिवादीगण/अपीलार्थी एवं अन्य रेस्पो. इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के सह स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 109, 189, 190, 192, 193, 205/684, 212, 213, 214, 215, 216, 241, 242, 245, 246, 247, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 393, 394 कुल किता 27 कुल रकबा 6.05 हैक्टेयर वाके ग्राम जगदीशपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त आराजी का खाता अभी शामलाती है जिसका विधिवत विभाजन नही हुआ है वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 लगा. 4 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 लगा. 12 का 1/9 हिस्सा, राजस्व रिकार्ड में दर्ज है विवादित आराजी का विधिवत विभाजन नही होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण यहा-वहा काश्त करते आ रहे है जिससे आये दिन लड़ाई-झगड़े की सम्भावना रहती है तथा विधिवत विभाजन केअभाव में प्रतिवादीगण अपनी मर्जी से काश्त करते है तथा अपनी मर्जी से कच्चा-पक्का निर्माण करने एवं शामलाती क्रषि भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर आमदा रहते है। दावा दायरी के लिये वाद कारण दिनांक 11/12/2018 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी पर निर्माण करने के उद्देश्य से निर्माण सामग्री डालने पर उत्पन्न हुआ। वाद पत्र के अन्त में इस्तदुआ की गयी कि वाद बहक वादी विरुद्द प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी को वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित है का विधिवत विभाजन किया जाकर भोतिक कब्जा समलाया जावे तथा अलग-अलग पर्चे बनाये जाकर लगान तय फरमाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी इत्यादि की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24/06/2019 को वाद में प्राथमिक	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कन्हैयालाल / देवनारायण 77/2021 **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

डिक्री इस आशय की जारी की गयी कि वादग्रस्त भूमि का मीट्स एन्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमाँ किये जाने के आदेश दिए जाते है, तहसीलदार कोटखावदा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिया जाता है कि दोनों पक्षों को मौके पर तलब कर दोनों पक्षों की मोजुदगी में तकासमाँ प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करे एवं पत्रावली इन्तजार कुरेजात हेतु आगामी पेशी में नियत की गयी | तत्तपश्चात वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 151 सी पी सी प्रस्तुत किया गया जिस पर वादी के अधिवक्ता को सुना जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 151सी पी सी स्वीकार किया जाकर दावे में खसरा नम्बर 191 रकबा 0.04 हैक्टेयर दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये एवं उक्त आदेश का नोट निर्णय व डिक्री में लाल श्याही से लगाये जाने का आदेश भी प्रदान किया गया | जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कुरेजात प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र कुरेजात प्रस्तुत किया जिसका जवाब वादी रेस्पो. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के अभिभाषकगणों की बहस कुरेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी एवं पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 04/02/2021 को नियत की गयी | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04/02/2021 के द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र कुरेजात को ख़ारिज करते हुये वाद वादी मुताबिक कुरेजात अनुसार अन्तिम डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी |

अभिभाषक अपीलान्ट ने हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत कुर्रेजात की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद में भी यह अंकित किया गया है कि पक्षकारान मौके पर आपसी सहमति से मनबट के आधार पर काबिज है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात का कतई ध्यान नही दिया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट में पक्षकारान के पूर्व में कब्जे के सन्दर्भ में कोई ध्यान नही

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	77/2021 कन्हैयालाल / डिवनारायण — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रखते हुये दिया गया है, सन्दर्भित आपत्ति पत्र की ध्यान आकर्षित करा कर अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 4 में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि ख.न. 351, 353 व 354 पर प्रतिवादी संख्या 1 / अपीलार्थी के कच्चे मकान बने हुये है एवं उक्त खसरा नम्बर पर ही प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी काबिज है व बोरिंग करा रखा है किन्तु फिर भी उक्त खसरा नम्बर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 13 के नाम लगा दिये गये | इस प्रकार पुख्ता कब्जे का ध्यान नही रखते हुये मौका स्थिति के बिलकुल विपरित जाकर सन्दर्भित कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गयी, जिससे कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु निर्धारित नियमो का पूर्णरूप से उल्लघन किया गया | अभिभाषक अपीलार्थी ने हमारा ध्यान पुन: वादी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आपत्ति प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 4 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि वादी स्वयं ने अपने जवाब में माना है कि प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी के मकानात एवं बोरिंग बटवारा रिपोर्ट में वादी को दिये गये है क्युकी वादी ने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रतिवादी के मकानात से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नही की है तथा ना ही बोरिंग से छेड़छाड़ की है जिसका तात्पर्य यह था कि वादी स्वयं इस तथ्य को स्वीकारते है कि अपीलार्थी के मकान एवं बोरिंग ख.न. 351, 353 व 354 में स्थित है जो कुर्रेजात रिपोर्ट में अपीलार्थी के हिस्से में रहने चाहिये थे ऐसा नही करने में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने में निर्धारित नियमो का उल्लघन किया गया है एवं पूर्व में कब्जेशुदा आराजीयात को पूर्णरूप से उलट-पलट कर दिया गया है | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर किये बगैर अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जिसे निरस्त किया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुन: विधिवत एवं निर्धारित नियमो के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर पुन: निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे |

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने हमारा ध्यान उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब आपत्ति पत्र के पैरा नम्बर 4 की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी जिन मकानात के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कन्हैयालाल / देवनारायण

तारीख हुक्म	77/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 4	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सन्दर्भ में अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे है वे मकानात प्रतिवादी संख्या 13 के ख.न. 357 में थे जिन्हें स्वेच्छा से प्रतिवादी संख्या 13 ने प्रतिवादी संख्या 1 के हक़ में समर्पित किया है | अभिभाषक रेस्पो. ने इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध शपथ पत्र जो प्रतिवादी संख्या 13 मूलचन्द उर्फ़ मूल्या के द्वारा दिया गया है और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त तथ्य की पुष्टि इस शपथ पत्र से भी होती है, कुर्रेजात रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बर जिस पर पुख्ता मकानात बने हुये है अपीलार्थी को दिये गये है जिससे प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र निराधार होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र ख़ारिज करते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गयी है जो सही है | अत: अपील ख़ारिज फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र में यह दर्शाया गया था कि उसके कच्चे मकानात व बोरिंग ख.न. 351, 353 व 354 में स्थित है जिसका कुर्रेजात रिपोर्ट में ध्यान नही रखा जाकर उक्त खसरा नम्बरान वादी को दे दिये गये | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने जवाब भी प्रस्तुत किया है जिसके पैरा नम्बर 4 में ही दर्ज किया है कि पुख्ता मकान ख.न. 357 में बना हुआ है जो प्रतिवादी संख्या 13 का था जिसे प्रतिवादी संख्या 13 ने प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी को डे दिया जिसकी लिखावट भी 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर की गयी है |इस सन्दर्भ में सन्दर्भित शपथ पत्र जो 50 रूपये के स्टाम्प पेपर पर है का अध्ययन किया गया | उक्त शपथ पत्र में यह कही इन्द्राज नही है कि ख.न, 357 में बना हुआ पुख्ता मकान अपीलार्थी को दिया गया हो बल्कि मात्र यह अंकित किया गया है कि एक खसरा नम्बर पर ईटो का निर्माण हो रखा है, उक्त ईटो का निर्माण वाली भूमि किसी अन्य खातेदार के आती है तो में उसकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति व ऐतराज नही करूंगा | उक्त शपथ पत्र से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उक्त शपथ पत्र के माध्यम से न तो कोई पुख्ता मकान अपीलार्थी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	77/2021 कन्हैयालाल / देवनारायण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिये गये है, उक्त शपथ पत्र में कोई खसरा नम्बर भी अंकित नही किया गया है जिसका खसरा नम्बर 357 से सन्दर्भ निकाला जा सकता हो बल्कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब कुर्रेजात आपत्ति के पैरा संख्या 4 से यह कयास लगाया जा सकता है कि प्रतिवादी/अपीलान्ट्स के मकानात कुर्रेजात रिपोर्ट के माध्यम से वादी को दिये गये है, जिससे तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये कुर्रेजात रिपोर्ट मौके पर कब्जे को ध्यान रखकर तैयार की गयी कुर्रेजात रिपोर्ट प्रतीत नही होती अन्यथा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब कुर्रेजात रिपोर्ट के सन्दर्भ में पुख्ता आपत्ति प्रस्तुत हुई हो तो उचित होता की अधीनस्थ न्यायालय पुन: तहसीलदार को आपत्तियों को ध्यान में रखते हुये पुन: कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु निर्देश देते ताकी पक्षकारान के मध्य विवाद हरदम के लिये समाप्त हो सकता।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04/02/2021 अस्पष्ट एवं प्रार्थी/अपीलार्थी की आपत्तियों का निराकरण किये बगैर पारित निर्णय व डिक्री की परिभाषा में आने से निरस्त किये जाते है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति पत्र बाबत कुर्रेजात एवं जवाब की प्रति के साथ तहसीलदार को प्रेषित कर निर्देश देवे की आपत्तियों के निराकरण के साथ पुन: कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार कर प्रेषित करे तत्तपश्चात पुन: प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर पक्षकारान की सुनवाई कर नये-नये सिरे से अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 01/4/2021 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 1/4/21
राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

(मुहर: राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (राजस्थान))